7+1

35

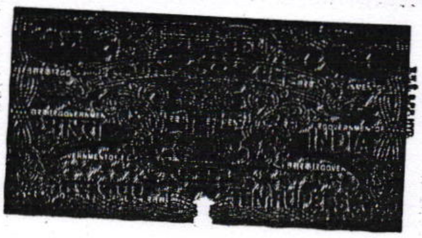

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018 पुनरीक्षण(निगरानी)

II/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/0371

श्री आनंद कुमार दुबे
द्वारा आज दि० 11-1-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 18-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मोहनलाल पुत्र बल्ले कुशवाहा, निवासी ग्राम बरदौरा, पुलिस थाना व तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

...

पुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

बनाम

1. राजाराम पुत्र गनेश कुशवाह,
2. राधारानी पत्नी गनेश कुशवाह

निवासीगण ग्राम बरदौरा, पुलिस थाना व तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

....

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

3. चंद्रराज पुत्र मोहनलाल कुशवाहा
4. कल्लू पुत्र चंद्रराज कुशवाहा
5. किन्ना पुत्र चंद्रराज कुशवाहा
6. गोविंद पुत्र चंद्रराज कुशवाहा

निवासीगण ग्राम बरदौरा, पुलिस थाना व तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

....

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदकगण

पुनरीक्षण / निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, विरुद्ध विद्वान तहसीलदार, तहसील बीना जिला सागर मध्य प्रदेश द्वारा प्रकरण कमांक...15 अ 70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.11.17(हस्ताक्षरित दिनांक 08.11.17) जिसके द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/0371 **जिला** - सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द दुबे उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में संहिता की धारा-32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर, प्रस्तुत किए गए उत्तर/जवाब में प्रस्तावित संशोधन चस्पा किए जाने का अनुरोध किया गया। आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने उक्त आवेदन अमान्य किया है। तहसीलदार ने अपने आदेश में आवेदन निरस्त करने के समुचित कारण दिए हैं। उनको देखते हुए यह पाया जाता है कि उनका आदेश उचित एवं न्यायिक है। प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में अभी गुण-दोषों पर होना है जहां उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	